(सत्यप्रतिलिपि)
न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ.ग.
(आदेश दिनांक 19/11/2020)

ज.या.क. 271/2020

गजेन्द्र कुमार साहू, पिता वेदराम साहू,
उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बोरियाकला,
थाना मुजगहन, तहसील व जिला रायपुर छ.ग. ....अभियुक्त

—विरूद्ध—

छ.ग. शासन,
द्वारा चौकी बिरेझर, थाना कुरूद,
जिला धमतरी छ.ग. ....अभियोजन

पुनश्च—

जमानत प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय से विधिवत् निराकरण हेतु मय केस डायरी अंतरण पर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री डी.एस.मोरार, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री गजानन मीनपाल, लोक अभियोजक।

प्रकरण अभिलेख एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है। संबंधित न्यायालय से अभिलेख प्राप्त।

आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदन पत्र एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक/आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि उसके विरूद्ध चौकी बिरेझर, थाना कुरूद द्वारा अपराध क. 483/2020 के अंतर्गत धारा 397, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया है। उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से पेश आवेदन प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त किसी

अन्य न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. में कोई जमानत आवेदन पत्र लंबित एवं निराकृत नहीं किया गया है। वह जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा जमानत के सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

श्री गजानन मीनपाल, लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति की है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन में अपने पिता वेदराम साहू का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है।

दांडिक प्रकरण क्र. 211/2020 छ.ग. राज्य विरूद्ध गजेन्द्र साहू एवं एक अन्य के अनुसार प्रार्थी ईश्वर साहू की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध चौकी बिरेझर, थाना कुरूद के द्वारा अपराध क्र. 483/2020, धारा–397, 34 भा.दं.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी पर धारा–397, 34 भा.दं.वि. के तहत् आरोप है कि दिनांक 09.09.2020 को दरम्यानी 10:00 बजे ग्राम कचना, भखारा रोड में लूट कारित करने की नियत से प्रार्थी ईश्वर साहू पर घातक हथियार चाकू से उपहति पहुंचाने का भय दिखाकर उससे रेडमी–7 मोबाईल का लूट कारित किया गया। आरोपी के मेमोरेंडम बयान के आधार पर लूट के तुरंत पश्चात् लूट में उपयोग की गयी मोटर सायकल, चाकू एवं मोबाईल जप्त की गयी है। आरोपी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति की है। जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने से गवाहों को प्रभावित किये जाने की संभावना है। वर्तमान समय में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र

अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित दांडिक प्रकरण क्र. 211/2020 छ.ग. राज्य विरूद्ध गजेन्द्र कुमार साहू एवं एक अन्य संबंधित न्यायालय को वापस भेजी जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. आदेश की प्रति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।
3. लोक अभियोजक, धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)